प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अशोक कुमार

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 33/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/39

सायलः	बनाम	गैरसायल :
जरिये सरकार दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली राज.		1.अशोक कुमार पुत्र श्री खेताराम (मालिक) मैसर्सः– निर्माता फर्म शिव शक्ति आईसक्रिम खालसा पेट्रोल पम्प, के पीछे, फालना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011
उपस्थिति :– 1. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी
2. गैरसायल स्वयं

–:निर्णयः–

दिनांकः 25.06.2024

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थी दिनांक 10.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रावली राजस्व(ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान् को सूचित किया गया। यह है कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 17.06.2018 को दौराने गश्त 5.00 पी.एम. पर मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रिम खालसा पेट्रोल पम्प के पीछे फालना जिला पाली का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रिम पर खाद्य सामग्री वनीला ब्रांड शिव शक्ति जो कि लगभग 200 कप में रखी हुई थी, प्रत्येक कप में 54 ग्राम आईसक्रिम वनीला ब्रांड शिव शक्ति जिसे गैरसायल आम जनता को विक्रय कर रहा था। मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए फॉर्म नम्बर 5A भरकर प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति मालिक अशोक कुमार को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रिम फर्म पर आईसक्रिम वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति के 24 कप वास्ते जांच आवेदक द्वारा क्रय कर जिसकी किमत विक्रेता को 240/– रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की गई। उक्त वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति के 24 कप को चार अलग–अलग सुखी शिशियों में 300–300 एम.एल. की मात्रा में भरकर उसमें फोरमेलिन की 36–36 बुन्द डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद कर मौके पर लैबल तैयार कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड़ व सिरियल नम्बर R-790 लिखकर नमूने क विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक नमूनें को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लेपेटे गये कागज के दौनों सिरों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक नमूनें पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपरस्लीप R-790 प्रत्येक नमूने पर प्रत्येक पेपल स्लीप नमूने के चारों ओर लगाकर चारो तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर चार–चार उपर नीचे दाये–बायें चपड़ी लगाकर सीलबंद व

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अशोक कुमार

सील मूहर किया। चारो सीलबंद नमूनों पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर मुल्जिम व गवाहों के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रांस करते हुए हस्ताक्षर करवाये गये। साथ ही मौके पर ही मुल्जिम व गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कर मौके पर ही अप्रार्थी व गवाहों को पढकर सुनाई तथा उनके द्वारा मंजुर किये जाने पर अप्रार्थी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैनें हस्ताक्षर कियें। एवं दिनांक 18.06.2018 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में नमूना संख्या R-790 जांच हेतु जमा करवाया गया।

खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा नमूना संख्या R-790 के संबंध में प्रदत्त रिपोर्ट एल.एस. 450/एक्ट/2018/460 दिनांक 22.06.2018 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति आईसक्रिम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। नमूना सख्या R-790 अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i) Food Safety and Standards Act-2006 के तहत अवमानक (Sub-Standard) व मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया। गैरसायल द्वारा अवमानक (Sub-Standard) व मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति आईसक्रिम प्रकृति का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया हैं। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 धारा 52 तहत दण्डनीय है।

नियत दिनांक को गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित होकर आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रिम, फालना से वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति आईसक्रिम का नमूना जांच हेतु लिया गया जो कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट में अवमानक (Sub-Standard) व मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया हैं। गैरसायल द्वारा उक्त वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति आईसक्रिम में जो अनियमितता हुई है वह सहवन से हुई है। उक्त वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति आईसक्रिम की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक (Sub-Standard) व (Misbranded Food) का पाया गया हैं। गैर सायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानीपूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है इसलिए गैरसायल के प्रति नरमरुख रखते अपनाते हुए कार्यवाही की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने नमूना संख्या R-790 की रिपोर्ट एल.एस. 450/एक्ट/2018/460 दिनांक 22.06.2018 की जांच रिपोर्ट के FSSAI Manuals of methods of analysis of Foods, Milk fat के Test में Milk Fat 3.66% पाया गया जबकि निर्धारित मानक अनुसार 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था। व Quality characteristics. में total solids की मात्रा 34.39 प्रतिशत पाई गई जबकि निर्धारित मानक अनुसार उक्त मात्रा 36 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये थी। नमूना संख्या R-790 वनीला ब्राण्ड शिव शक्ति आईसक्रिम अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i)Food Safety and Standards Act-2006 के तहत मिसब्रान्डेड फूड़ अवमानक (Sub-Standard) व (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। गैरसायल द्वारा Sub- Standard and मिसब्रान्डेड फूड़

अति. जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अशोक कुमार

(Misbranded Food) प्रकृति का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है तथा धारा 51 धारा 52 के तहत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरुप सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल द्वारा Sub- Standard and मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 5000/—अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि सायल व गैरसायल को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

25/6/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)